विचार बिन्दु

देश को आजादी दिलाने वालों की आत्मा क्या कहेगी? –अज्ञात

विवाद है क्या विधायक पेंशन के अधिकारी हैं और चर्चा है राज्य सरकार पूर्व विधायकों के पुत्र व पुत्री को पेंशन देना चाहती है।

देशभर में यह विवाद उठाया जा रहा है कि क्या सांसद व विधायक पेंशन के अधिकारी हैं? जबसे Freebies के बाबत सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष बहस चल रही है, राजस्थान राज्य की सरकार पूर्व विधायकों के पुत्र पुत्री को पेंशन दिये जाने का मानस बना रही है, क्योंकि दिल्ली, मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ व अन्य की सरकारें पूर्व विधायकों के पुत्र व पुत्री को उनकी 25 वर्ष की आयु तक पेंशन दे रही है। इसका अर्थ है पूर्व विधायक व उसकी पत्नी की मौत होने पर उनके 25 वर्ष तक के आश्रित पुत्र अथवा पुत्री को पेंशन दी जानी चाहिये। अब तक जानकारी के अनुसार पुत्र व पुत्री को पेंशन लोकसभा, राज्य सभा तथा दिल्ली, छत्तीसगढ, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, गोवा व नागालैण्ड में इस प्रकार की पेंशन दी जा रही है। कुछ राज्यों में तो पुत्र व पुत्री के न होने पर माता व पिता को पेंशन दी जा रही है। पेंशन की यह व्यवस्था इस प्रकार है कि 5 वर्ष तक सदस्य रहने वाला सदस्य 35000/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहा है। 70 वर्ष आयु होने पर पेंशन 20 प्रतिशत व 80 वर्ष होने पर 30 प्रतिशत वृद्धि का अधिकारी है। पेंशन के अतिरिक्त उन्हें अन्य सुविधायें भी प्राप्त हैं जैसे 200 पास रेल, विमान से यात्रा के लिये एक लाख रूपये तक की सीमा तक किराया। वे सरकारी गेस्ट हाउस की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। इसके अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के वे अधिकारी हैं।

एक बार विधायक के बाद वह दुबारा भी चुनाव लड़कर विधायक हो सकता है तथा विधायक बनने से पूर्व जो कार्य पहले करता था वह पूर्ववत कर सकता है। आश्चर्य तो इस बात का है कि प्रत्येक टर्म की पेंशन वह प्राप्त करने का अधिकारी है। ये विधायक स्वयं अपनी पेंशन निर्धारित करते हैं और कानून बनाते हैं।

यहां लेने वाला व देने वाला एक ही है और कहावत भी है अंधा बांटे रेवडी, अपने को ही देय। Freebies द्वारा सरकारी सरकारी खजाने की लूट का यह मामला है।

पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 के द्वारा राजस्थान मंत्री वेतन अधिनियम 1956 में संशोधन किया और धारा 7 बीबी व 11(2) जोड़कर पूर्व मुख्यमंत्री को आजीवन सरकारी आवास व 10 व्यक्तियों का स्टाफ मय ड्राईवर देने की सुविधा प्रदान की उक्त संशोधन अधिनियम 2017 की वैधानिकता को राज्य के वरिष्ठ पत्रकार मिलापचंद डंडिया ने एक पीआईएल में चुनौती दी। राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिनियम 2017 की दोनों धाराओं यानी 7 बीबी व 11(2) को दिनांक 4.9.2019 के आदेश से असंवैधानिक घोषित किया। इसे स्टेट द्वारा एसएलपी में सर्वोच्च न्यायालय में चुनौदी दी; किन्तु माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसे Admission स्टेज पर ही दिनांक 6.1.2020 के आदेश से खारिज कर दिया। राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय का सार था कि सरकारी सम्पत्ति को मनमाने तरीके से लुटाया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

संविधान के अनुसार कोई भी कानून संविधान के किसी अनुच्छेद में दी गई शक्ति के आधार पर और संविधान की अनुसूची केन्द्र अथवा राज्य अथवा समवर्ती सूची 3 के अनुसार ही बनाया जाता है। संघ सूची 1 की एन्ट्री 73 में केन्द्र को सांसदों के वेतन व भत्तों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और राज्य सूची 2 की एन्ट्री 38 के अनुसार विधायकों के वेतन व भत्तों के हेतु कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 106 संसद को तथा अनुच्छेद 195 विधानसभा को वेतन व भत्तों के हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। इन दोनों प्रावधानों में केवल वेतन व भत्ते का प्रावधान है किन्तु पेंशन का कोई उल्लेख नहीं है। केन्द्र व राज्य के कानून में संशोधन कर पेंशन देने का प्रावधान बनाया गया। राज्य को मंत्रियों के वेतन व भत्ते का अधिनियम 1956 है इसके पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है। पेंशन का प्रावधान एक्ट नं. 17/2015 व संशोधन एक्ट 26/2017 से धारा 4क के रूप में जोड़ा गया। वर्तमान में राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम 1956 व राजस्थान विधान सभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 के अनुसार पेंशन दी जाती है। वस्तुत: उक्त पेंशन अधिनियम 1956 का सही शीर्षक है राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) संशोधन अधिनियम 1956 है। इसके अनुसार 1 अप्रेल 2019 से ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो विधानसभा सदस्य के रूप में निरन्तर अन्यथा 5 वर्ष तक की अवधि के लिय रहा हो उसे पैंतीस हजार रूपये (रू. 35000/-) की पेंशन मिलेगी। पांच वर्ष की कालावधि से अधिक निरन्तर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष व उसके भाग के लिये 1600/- रूपये की अतिरिक्त पेंशन मिलेगी। यहां यह लिखना समीचीन होगा कि सांसदों को दी जाने वाली पेंशन की स्थिति और राजस्थान के विधायकों को दी जाने वाली पेंशन में काफी अन्तर है। राजस्थान के कर्मचारियों पर राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 लागू होते हैं। विधायक सरकार के कर्मचारी नहीं हैं।

पेंशन का सिद्धान्त है कि सर्विस का पीरियड समाप्त होने पर ऐसी व्यवस्था हो कि रिटायरमेंट के बाद उसे एक ऐसी राशि मिल सके जिससे वह गरिमा के साथ जीवन जी सके। पेंशन सोशल सिक्यूरिटी है। सांसद व विधायक सरकारी नौकर नहीं हैं। विधायकों को पेंशन मिले यह कहीं भी संविधान में उल्लेखित नहीं है। विधायक पुन: चुनाव लड सकता है, फिर पेंशन का क्या प्रश्न? सरकारी नौकर तो सर्विस लॉ के अनुसार Status का प्रश्न है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 4.9.2019, मिलापचंद डंडिया बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के केस में स्पष्ट कर दिया है कि विधायकों को पेंशन दिया जाना वैधानिक नहीं है। संविधान प्रत्येक नौकरी पेशा व्यक्ति को पेंशन देने की बात नहीं करता। वेतन व अलाउन्स दोनों अलग-2 शब्द हैं, अलग अर्थ रखते हैं, इनका पेंशन से कोई मतलब नहीं है। यदि विधायकों को पेंशन दी जाती है तो फिर पंचायत के पंच, सरपंचों, नगरपालिका के पार्षदों को पेंशन क्यों नहीं?

वस्तुस्थिति यह है कि जब राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियों एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 के तहत् पेंशन दिया जाना ही असंवैधानिक है तो फिर उक्त नई सुविधायें देना भी सर्वथा अवैध व असंवैधानिक है।

विधायकों को प्रत्येक पांच साल के टर्म की समाप्ति पर यदि वह उस पोस्ट पर पुन: चुनाव लडता है और जीतता है तो वह प्रत्येक टर्म की पेंशन प्राप्त करता है। यों भी टर्म एम्प्लायमेंट में पेंशन क्यों? स्थायी कर्मचारी ही पेंशन प्राप्त करने का अधिकारी है।

मिलापचंद डंडिया बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम की वैधानिकता को चुनौती दी थी; किन्तु पेंशन के प्रावधानों को चुनौती नहीं दी थी तथा चुनौती देने के अधिकार को सुरक्षित रखा था। अब पेंशन की वैधानिकता पर प्रश्न उठाया गया है। यहां यह भी उचित व समीचीन होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाम यूनियमन ऑफ इण्डिया 2002 (1) एससीसी 88 में संसद सदस्यों को पेंशन का अधिकार माना है। यह निर्णय वास्तव में निर्णय की परिभाषा में नहीं आता; क्योंकि पेंशन क्यों दी जावे इस पर कोई चर्चा नहीं है, बहस नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल एटोर्नी जनरल के कथन पर कि, "उन्हें पेंशन दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है" पेंशन देना माना है। यह मामला एम्प्लॉयर एम्प्लोई का नहीं है। जैसा ऊपर कहा है कि सांसदों व विधायकों को पेंशन देने के बाबत संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। राज्य की लिस्ट में केवल वेतन व एलाउन्स पर कानून बनाने का अधिकार है।

उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होगा कि विधायकों को पेंशन देना तथा प्रत्येक टर्म की पेंशन देना निम्नलिखित कारणों से अवैध, अनाधिकृत, अमान्य व संविधान के विरूद्ध है:-

1) पेंशन जिसे विधायकों को देना कहा जाता है उसके संबंध में राज्य की अनुसूची में कोई प्रावधान नहीं है और न यह अनुच्छेद 195 से ही शक्ति ग्रहण करता है।

2) पेंशन का अर्थ है रिटायर्मेन्ट के बाद खर्चे की व्यवस्था के हेतु Social Security के लिये एम्प्लॉयर द्वारा प्रतिमाह रकम खर्चों के हेतु अदा करना। विधायकों के हेतु ये निर्विवाद है कि वे सरकारी नौकर नहीं है अपितु उनका पद संवैधानिक है। विधायक का चुनाव होता है और वह भी नियत समय के लिये, यह नौकारी नहीं है। विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं।

3) पेंशन न तो वेतन है और न अलाउन्स। पेंशन नियम, 1977 के रूल 6 के अनुसार मृत्यु हो जाने के बाद पेंशन बंद होगी, ऐसा प्रावधान है।

4) पेंशन का कानून विधायकों ने ही अपने लिये बनाया है और इस प्रकार न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यहां कानून बनाने वाला और उसका लाभार्थी एक ही है।

5) संविधान के अनुच्छेद 195 में विधायकों के वेतन व भत्ते के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है और संसद को सांसदों के हेतु यह अधिकार अनुच्छेद 106 में है; किन्तु पेंशन के लिये कोई प्रावधान नहीं है, अत: पेंशन जो विधायकों को दी जा रही है वह असंवैधानिक है। विधायकों को दी जाने वाली पेंशन की साधारण परिभाषा में नहीं आती। पेंशन के पेमेन्ट के लिये कोई मापदण्ड नहीं है, यह Arbitrary पेमेन्ट है, स्वयं विधायकों द्वारा उनकी मर्जी से इसे बढ़ाया जाता है जो विवेकहीन क्रिया है।

फ्रीबीज में सरकारी सम्पत्ति को लुटाया जा रहा है और पेंशन की व्यवस्था में भी राज का खजाना लुटाया जाता है। विधायकों को प्रत्येक टर्म की अलग-2 पेंशन दी जाती है। यहां निम्नलिखित उदाहरण द्वारा यह बताने का प्रमाण दिया जा रहा है कि किस प्रकार पेंशन के नाम पर राज्य का कैसे खजाना लुटाया जा रहा है:-

1) पूर्व विधायकों को पेंशन पर खर्च होने वाली रकम 25 करोड़ 95 लाख 47 हजार 400 रूपये प्रतिमास है। प्रत्येक वर्ष यह रकम बढ़ती रहती है।

2) कुल 508 पूर्व विधायकों को जो न्यूनतम पेंशन रू. 35000/- दी जाती है वह प्रतिमास रू. 177800000/- है।

3) 8 पूर्व विधायकों 1 लाख रूपये प्रतिमाह से अधिक प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

4) 104 पूर्व विधायकों की पेंशन 50000/-रूपये प्रतिमाह से अधिक है।

5) उपरोक्त विवरण सूचना का अधिकार 2005 के तहत् राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा वरिष्ठ पत्रकार श्री मिलापचंद डंडिया को दिनांक 4 जुलाई 2022 के पत्र से भेजी गई सूचना के आधार पर है, किन्तु उसमें कुछ नाम छोड दिये हैं। वे नाम हैं श्री अशोक गहलोत, नरपतसिंह राजवी, माननीया वसुन्धरा राजे, श्री गुलाबचंद कटारिया व श्री राजेन्द्र सिंह।

6) एक से अधिक बार (टर्म) रहे पूर्व विधायकों की सूची एवं उनके सदस्यता अवधि इस प्रकार है:-

सदस्य का नाम	पेंशन	सदस्यता वर्षों में	: वर्धित पेंशन
श्री जगत सिंह	Rs.43000 + Rs. 12900 = Rs. 55900/-	10	30 प्रतिशत
श्री जसराज जयपाल	Rs.35000 + Rs. 10500 = Rs. 45500/-	5	30 प्रतिशत
डा. राजकुमार जयपाल	Rs.35000	5	-
श्री राम नारायण	Rs.35000 + Rs. 7000 = Rs. 42000/-	5	20 प्रतिशत
श्री विशन सोनगरा	Rs.43000 + Rs. 86000 = Rs. 51600/-	10	20 प्रतिशत
श्री हरीश झामनानी	Rs.35000 + Rs. 7000 = Rs. 42000/-	5	20 प्रतिशत

7) राजस्थान पेंशन अधिनियम 1956 में पेंशन के अतिरिक्त विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, कौटुम्बिक पेंशन व वर्धित पेंशन तथा कई सुविधायें ऐसी हैं जिन्हें वेतन मानकर पेंशन दी जा रही है, जैसे आश्रित बच्चों पर चिकित्सीय उपचार का खर्चा तथा नि:शुल्क अन्तर्राष्ट्रीय पास आदि।

इन सुविधाओं के तथा पेंशन देने के अतिरिक्त अब पूर्व विधयकों और उनकी पत्नी की मौत के बाद उनके 25 वर्ष के आश्रित पुत्र व पुत्री को पेंशन प्राप्त होगी। यदि पूर्व विधायक के कोई पुत्र या पुत्री नहीं है तो माता पिता को पेंशन दी जावेगी। वस्तुस्थिति यह है कि जब राजस्थान विधानसभा (अधिकारियों और सदस्यों की परिलब्धियों एवं पेंशन) अधिनियम, 1956 तथा राजस्थान विधानसभा सदस्य पेंशन नियम, 1977 के तहत् पेंशन दिया जाना ही असंवैधानिक है तो फिर उक्त नई सुविधायें देना भी सर्वथा अवैध व असंवैधानिक है।

–अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

जीवन में शारीरिक व मानसिक मजबूती के लिए खेलना बहुत जरूरी है : मीनाक्षी चौधरी

उद्घाटन कार्यक्रम में अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट मीनाक्षी चौधरी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा राजेंद्र प्रसाद जोशी, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह चौहान ने शिरकत की।

■ सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाकर खेल शुभारंभ की घोषणा की

ब्यावर, (निसं)। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता 2022 का उद्घाटन अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश संख्या 3 मीनाक्षी चौधरी के मुख्य आतिथ्य, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जवाजा राजेंद्र प्रसाद जोशी की अध्यक्षता एवं अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी संतोष सिंह चैहान के विशिष्ट आतिथ्य में किया गया।

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक राजकीय राजियावास में बालिका वर्ग तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नरबदखेडा में बालक वर्ग की प्रतियोगिताओं का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि मीनाक्षी चौधरी द्वारा खेलकूद में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को शपथ दिलाकर खेल शुभारंभ की घोषणा की गई। उन्होंने खेलों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवन में शारीरिक व मानसिक मजबूती के लिए खेलना बहुत ही जरूरी बताया। कार्यक्रम को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अत:स्वस्थ शरीर के लिए खेलना आवश्यक है।

सीबीईओ राजेन्द्र प्रसाद जोशी ने बताया कि खेलकूद प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के अन्तर्गत ब्लॉक जवाजा की कुल 56 टीमें भाग ले रही हैं। प्रतियोगिता में कबड्डी, फुटबाल, वॉलीबाल, टेबल टेनिस, बेडमिन्टन, बास्केट बाल, 100 मीटर दौड, 200 मीटर दौड, 400 मीटर दौड, ऊंची कूद व लम्बी कूद आदि खेल आयोजित होंगे। कार्यक्रम का संचालन रघुवीर सिंह और संयोजन पीईईओ नेमीचंद यादव ने किया। उन्होंने बताया कि इसी प्रकार बालक वर्ग में 23 विद्यालयों के 297 प्रतिभागी नरबदखेडा में भाग ले रहे है। यहां की प्रतियोगिताओं के संयोजक प्रकाश चंद प्रजापति है। राजियावास में प्रतियोगिता प्रथम दिवस के परिणाम इस प्रकार रहे।

राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजियावास ने फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबाल में प्रथम स्थान स्थान प्राप्त किया। टेबल टेनिस में बाल मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय ब्यावर प्रथम रही तथा बैडमिंटन में मंगल न्यूटन स्कूल प्रथम रहे, द्वितीय दिवस कबड्डी के सेमीफाइनल व फाइनल मुकाबले होंगे तथा दौड, लंबीकूद, ऊंची कूद की प्रतियोगिता होगी। कार्यक्रमों में प्रधानाचार्य महेश कुमार,रेनू चौधरी, गजेंद्र तुनगारिया, तारा सिंह चौहान, पूरण चन्द, संजय सिंह गहलोत, खेल प्रशिक्षक एवं निर्णायक कोमल सिंह चैहान, प्रभु सिंह चौहान, रतन सिंह चौहान, नफीसा भारती, रूप कला शर्मा, कुंभनाथ, विनोद सिंह, गोपाल नारायण प्रजापति, नरेश कुमार, प्रमोद राय, राजेश परिहार, उमा खान सबाबत, किरण वैष्णव, गायत्राी, हंसा गुर्जर, सुमन, ममता यादव, आरती सखनानी, मधुबाला गुप्ता, हरी प्रकाश सिंह चौहान, खुमान राम, मनोहर कुमार, निर्मला सिंघारिया एवं बसंत कुमार आदि उपस्थित थे।

फसलें खराब होने पर अनुदान की राशि दिलाने की मांग

सरवाड़, (निसं)। भारतीय किसान संघ तहसील कार्यकारिणी की बैठक कृषि उपज मंडी सरवाड़ में तहसील अध्यक्ष लक्ष्मण खारोल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रांत सहकारिता प्रमुख राजेंद्र कुमार शर्मा अजमेर संभाग बीज प्रमुख गौ सेवा प्रमुख रामदेव शर्मा जिला सह मंत्री रामेश्वर गौड़ ने भाग लिया।

बैठक में किसानों की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया वही कलेक्टर के नाम व तहसीलदार प्रशासन को ज्ञापन दिया गया। इस दौरान ज्ञापन में खरीफ फसल 2022 अधिक वर्षा से मूंग उड़द ज्वार आदि फसलें 70 से 80 प्रतिशत तक खराब हो गई है इसकी वास्तविक गिरदावरी करवा कर किसानों को भारत सरकार की गाइड लाइन के अनुसार आदान अनुदान की राशि दिलाने की मांग की साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसल बीमा क्लेम दर्ज करवाया गया जिसमें किसान की फसल खराब हुई है खेत के खसरा नंबर के अनुसार बीमा क्लेम दिलाने की मांग की गई।

इस वर्ष गायों में लम्पी स्किन की बीमारी से अधिकांश गायों की मौत हो रही है इसकी प्रभावी रोकथाम प्रशासन की तरफ से की जाए एवं मृत गायों को जमीन में दफनाने के लिए ग्राम पंचायत एवं नगर पालिका प्रशासन को पाबंद कराए जिससे ताकि बीमारी महामारी का रूप नहीं ले सके।

राज्य सरकार से मांग की गई कि बीमारी से मरने वाली गायों का सर्वे करा कर पशुपालन को मुआवजा दिलाया जाए। इस दौरान शिव लाल धाकड़, हनुमान कुमावत जाट, सूर्यनारायण सिंह, जगदीश धाकड़ व रामधन धाकड़ आदि किसान मौजूद रहे।

फरार महिला शराब तस्कर गिरफ्तार

अजमेर, (कासं)। जिला आबकारी विभाग के द्वारा अवैध शराब के निर्माण और बेचान के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 19 /54 के तहत लंबे समय से फरार चल रही शराब तस्कर महिला को गिरफ्तार किया गया है।

आबकारी निरीक्षक गुरनाम सिंह ने बताया कि पकड़ी गई शराब तस्कर महिला सांसी बस्ती भगवान गंज की रहने वाली पुष्पा पत्नी श्यामलाल है। जिसके खिलाफ अवैध रूप से देशी शराब बेचने के आरोप में वर्ष 2021 में अभियोग दर्ज किया गया था। आरोपी महिला तब से फरार चल रही थी जिसे गुरुवार को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ

अजमेर, (कासं)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर द्वारा गुरुवार को अजमेर जिले के सभी ब्लॉक में दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारम्भ हुआ।

राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय अजमेर में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय वर्ष 2022 खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश) सचिव रामपाल जाट ने 400 मीटर दौड में प्रतियोगी छात्रों का मनोबल बढ़ाते हुए और हरी झण्डी दिखाकर किया। कार्यक्रम में अतिरिक्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी वीणा अग्रावत, अतिरिक्त निदेशक भागचन्द मंडावरीया, खेलकूद प्रभारी सुनिल धाबाई, राजकीय जवाहर स्कूल अजमेर के प्रधानाचार्य सोहन वीरसिंह तोमर, बलराज सिंह चौहान वरिष्ठ शारिरीक शिक्षक राजकीय जवाहर स्कूल व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रजत कुमावत व लोकेश जसवाल भी उपस्थित रहे। राजकीय जवाहर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित होने वाली दो दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में लगभग 15 स्कूलों से 35 टीमों ने भाग लिया जिनके मध्य 100, 200 व 400 मीटर दौड, ऊंची कूद, लम्बी कूद, टेबल-टेनिस, बैडमिन्टन, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबाल, बास्केटबॉल जैसे खेलों का आयोजन करवाया जा रहा है।

सचिव रामपाल जाट ने प्रतियोगिता में उपस्थित छात्रा-छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि कानून की जानकारी हर किसी को होना बहुत ही आवश्यक है, परन्तु कानूनी जानकारी हर किसी को होना संभव नहीं होती है।

सरपंच संघ ने ज्ञापन सौंपा

आसींद, (निसं)। पंचायत समिति परिसर आसींद में गुरुवार को सरपंच संघ द्वारा सरकार के लिखित समझौते वादाखिलाफी एवं मांग पत्र पर राज्य सरकार का आदेश जारी नहीं करने से नाराज सरपंच संघ द्वारा सरकार के खिलाफ राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले पंचायत समिति परिसर आसींद में सरपंच संघ के द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति आसींद को राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार के नाम ज्ञापन दिया गया। इसमें सरपंच संघ की लिखित मांगों को मानने का उल्लेख किया गया तथा मौके पर उपस्थित सरपंच व सरपंच प्रतिनिधि पानी देवी निंबाराम गुर्जर, दडावट हंसराज जाट, पालडी प्रभु लाल गुर्जर, रतनपुरा लादू लाल बलाई, दांतड़ा अविनाश शर्मा, ब्राह्मणों की सरेरी एवं अन्य ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि मौके पर उपस्थित थे।

मार्बल व्यापारी से लूट

मकराना, (निसं)। मार्बल व्यापारी के साथ मारपीट कर कार में से पैसे लूटने का मामला सामने आया है। मार्बल व्यापारी डरा व सहमा हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस मामले की जांच जगदीश प्रसाद सउनि थानाप्रभारी मकराना कर रहे हैं।

अशोक बिंदल श्री अजमेर सर्राफा संघ के अध्यक्ष

श्री अजमेर सर्राफ संघ के 3 वर्षीय चुनाव में अशोक बिंदल चतुर्थ बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए।

अजमेर, (कासं)। श्री अजमेर सर्राफ संघ के 3 वर्षीय चुनाव में अशोक बिंदल चतुर्थ बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अशोक तोषनीवाल और आंतरिक आय-व्यय निरीक्षक अतुल मालू भी निर्विरोध निर्वाचित हुए।

■ सुशील वर्मा सचिव चुने गए

सचिव पद पर सुशील वर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय कोठारी सहसचिव अनिल गदिया कार्यालय और कॉंटा व्यवस्थापक भागचंद जैन, कोषाध्यक्ष दिलीप कोठारी, कार्यकारिणी सदस्य में सतीश गोलेछा, राजकुमार ललवाणी, आशीष गदिया, अक्षय बिंदल,भरत केसवानी, नवनीत गोयल, अमित भारद्वाज, चंद्रशेखर माहेश्वरा, नरेंद्र कुमार डीडवानिया, पंकज कंदोई चुने गए। सुशील वर्मा लगातार चतुर्थ बार सचिव नियुक्त हुए। कोरोना काल में जरूरतमंद लोगों तक भोजन व खाद्य सामग्री पहुंचाने में भी सर्राफा संघ अध्यक्ष अशोक बिंदल का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।

मलबे में तब्दील सड़कों को ठीक कराने की मांग

मदनगंज-किशनगढ, (निसं)। परशुराम सेना ने उपखंड अधिकारी प्रतिनिधि को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौपकर शहरी क्षेत्र की मलबे में तब्दील हो चुकी सडकों को दुरस्त करने की मांग की है।

सेना संयोजक एवं एडवोकेट रूपेश शर्मा ने जरिये ज्ञापन अवगत कराया की देकर परासिया से आर के पाटनी रोडवेज बस स्टैंड, पुरानी मिल चौराहे से सरवाडी गेट होते हुए नसीराबाद हाइवे तक, रेलवे स्टेशन रोड, ऊंटडा रोड सहित वार्डो में मुख्य सडक जर्जर हालात में पहुंच चुकी है।

सडक टूटने से जगह-जगह गहरे गड्ढे होने से आमजन को आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड रहा है साथ ही दुर्घटना का अंदेशा बना हुआ है। ऐसी विकट परिस्थितियों में नई सडक बनाने के बजाय फिलहाल अस्थाई रूप से पेचवर्क कराने से भी बडी राहत मिल सकती है। मौसम ठीक होने के बाद नई सडक का निर्माण कार्य शुरू कराने से लोगों के लिये सौगात होगी। एडवोकेट रुपेश शर्मा ने शीघ्र ही कार्यवाही की मांग की है ताकि वाहन चालकों को समस्या से निजात मिल सके।

राशिफल शुक्रवार 26 अगस्त, 2022

पंडित अनिल शर्मा

भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, चतुर्दशी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, आश्लेषा नक्षत्र सांय 6:33 तक, परिद्य योग रात्रि 2:10 तक, शकुनि करण दिन 12:25 तक, चन्द्रमा सांय 6:33 से सिंह राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-सिंह, चन्द्रमा-कर्क, मंगल-वृष, बुध-कन्या, गुरू-मीन, शुक्र-कर्क, शनि-मकर, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

आज जीवंतिका पूजन, पिठोरी अमावस्या, जैन वृषभोत्सव है।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 7:42 तक, लाभ-अमृत 7:42 से 10:53 तक, शुभ 12:29 से 2:04 तक, चर 5:15 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 6:07, सूर्यास्त 6:50

मेष
घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। परिवार में प्रसन्नता-हर्षोल्लास का माहौल रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता यथावत बनी रहेगी। चलते कार्यों में प्रगति होगी। धार्मिक कार्यों पर धन खर्च हो सकता है।

वृष
परिवार में शुभ और मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

मिथुन
आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों का प्रभाव-प्रभुत्व बढ़ेगा।

कर्क
मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। आवश्यक और महत्वपूर्ण कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है।

सिंह
घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होगी। पारिवारिक व्यावसायिक कार्यों के लिए बाहर जाना पड़ सकता है। समय अनर्गल कार्यों में खराब हो सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

कन्या
आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों पर नियंत्रण बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

तुला
व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। अटके हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। चलते कार्यों में प्रगति होगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृश्चिक
नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार में मनोरंजन के कार्यक्रम बन सकते हैं।

धनु
अपनी योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। यात्रा टालना ठीक रहेगा।

मकर
परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। खान-पान के कारण स्वास्थ्य खराब हो सकता है।

कुंभ
व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलते कार्यों में प्रगति होगी। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त कार्य व्यवस्थित होने लगेंगे।

मीन
व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में उचित सफलता मिल सकती है। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।